अब ड्राइविंग लाइसेंस के फार्म पर भी होगा अंगदान कॉलम...

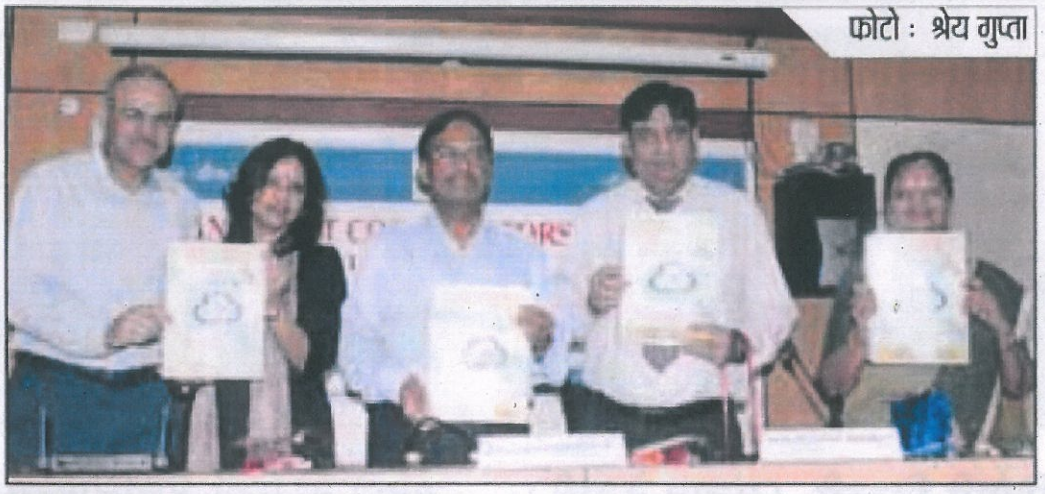
फोटो : श्रेय गुप्ता

दक्षिणी दिल्ली, (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संस्थान (नोटो) के आंकड़ों के अनुसार देश में अंग प्रत्यारोपण का दर प्रति दस लाख केवल .3 है।

जबकि विदेशों में यह दर 37 प्रतिशत का है। वहीं किडनी के प्रत्यारोपण का इंतजार कर लोगों की संख्या दो लाख और हृदय व लिवर के प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या पचास हजार से ऊपर जा चुकी है। इसे देखते हुए अब सरकार अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म पर एक कॉलम शुरू करने जा रही है। नोटो में अंगदान के संयोजकों के चौथे बैच के ट्रेनिंग के समापन पर स्वास्थ सेवाओं के महानिदेशक डॉ. जगदीश प्रसाद ने बताया कि अंगदान स्वैच्छिक होता है। इसके लिए कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसके प्रति जागरूकता जरूर बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म पर इसका भी एक कॉलम बढ़ाने जा रही है।

सबसे बड़ा बैच...

नोटो के निदेशक डॉ. विमल भंडारी का कहना है कि अंगदान के नियम के तहत सभी अस्पतालों जहां आइसीयू की सुविधा है, वहां अंगदान के दो संयोजकों का होना अनिवार्य है। इन संयोजकों का काम लगभग मृत या ब्रेन डेड हो चुके मरीजों के परिजनों से बात कर उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित करना होता है। इसके लिए नोटो साल में दो बार इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण देती है।

डॉक्टरों को मिलेगा इंसेंटिव...

अंग प्रत्यारोपण के मुहिम में डॉक्टर ही पिछड़ रहे हैं। सरकार रेजिडेंट के साथ ही फैकल्टी को भी प्रेरीत कर रही है। उन्हें भी प्रत्यारोपण से जोड़ने के लिए सरकार ऐसे डॉक्टरों को इंसेंटिव भी दे रही है।

बीस लाख करने का लक्ष्य...

डॉ. भंडारी बताते हैं कि वर्ष 2016 में अंगदान के लिए पंजीकरण करने वालों की संख्या 13 लाख पहुंच चुकी थी। जिसे इस साल के अंत तक बढ़ाकर बीस लाख करने का लक्ष्य रखा गया है।